इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 536] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2017—आश्विन 14, शक 1939

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (मध्यप्रदेश पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम—2017

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-1-15-2017-1-उनसठ.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 30 मई 2017 में अधिसूचित "मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (मध्यप्रदेश पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम-2017" के नियम 16 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

(1) उक्त नियमों के नियम 9.1 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है:—

"अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग में महाविद्यालय अपग्रेडेशन की सुविधा सिर्फ प्रथम चरण में ही लागू रहेगी."

(2) उक्त नियमों के नियम 9.4 (रजिस्ट्रेशन) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है:—

"अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर सिर्फ काउंसिलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जावेगा. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा.".

2. उक्त नियमों के नियम-9.5 (अभिलेख सत्यापन) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है:—

"अभ्यर्थियों को प्रवेश काउंसिलिंग हेतु अभिलेख सत्यापन कराने का अवसर सिर्फ काउंसिलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जावेगा. प्रथम चरण की काउंसिलिंग में अभिलेख सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. आर. कतरोलिया, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.